

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-1564/सेक-2-पांच-16-1(12)/2013टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक : 6 मई, 2016
कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के चिकित्साधिकारियों को लेवल-5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8900) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05.01.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2- विभागीय चयन समिति की बैठक के समय डा0 सविता भट्ट, वरिष्ठता क्रमांक-5058, के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने तथा सतर्कता जांच प्रचलित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी पदोन्नति की संस्तुति 'बंद लिफाफे' में रखी गयी थी। उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 31.05.2009 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.12.2009 द्वारा एवं अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 22.02.2014 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23.02.2016 द्वारा उन्हें निर्दोष पाते हुए बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त डा0 सविता भट्ट के विरुद्ध प्रचलित सतर्कता जांच भी शासन के पत्र दिनांक 05.01.2016 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

3- अतः पदोन्नति संबंधी 'बन्द लिफाफा' खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 सविता भट्ट को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 आभा सक्सेना (वरिष्ठता क्रमांक-5064) व अन्य की अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि 17.03.2015 से लेवल-5, अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8900) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


4- डा0 सविता भट्ट की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-1564 (1)/सेक-2-पांच-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- प्रभारा, कम्प्यूटर सल का इस आशय से प्रांषत कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 9- डा0 सविता भट्ट, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।